PROGRAMME FOR CULTURAL COOPERATION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS

FOR THE YEARS 2018 - 2021

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mauritius hereinafter referred to as the "Participants";

In pursuance of the Agreement on Economic, Technical and Cultural Cooperation between the Government of the Republic of Mauritius and the Government of the Republic of India, signed in Port Louis on 14 March 1978;

Have agreed on the following Programme for cultural cooperation in the fields of arts and culture for the years 2018-2021.

1. <u>CULTURAL COOPERATION IN ARTS AND CULTURE</u>

- 1.1. Both participants shall exchange at least two cultural troupes of performing arts not exceeding 15 members in a year. The date and other details of the visit of the troupes shall be mutually agreed upon through the diplomatic channels.
- 1.2. The Indian side shall organise an exhibition on folk art and traditions of the Republic of India in the Republic of Mauritius for a period of one week. The Mauritian side shall reciprocate by sending a similar exhibition to the Republic of India.
- 1.3. Both participants shall exchange exhibitions of fine arts by selected artists for a period of two weeks. The exhibition will be accompanied by the visit of one of the selected artists for conducting a workshop on styles and techniques of paintings. The timings and other details of the exhibition shall be worked out on mutually agreed upon terms.

*

- 1.4. The Indian side may invite a Mauritian painter/visual artist on tour to the Republic of India for a period of two weeks and to do a series of paintings on India. The Mauritian side undertakes to organise an exhibition of these paintings in the Republic of Mauritius.
- 1.5. The Mauritian side may similarly invite an Indian painter/visual artist to tour the Republic of Mauritius and do a series of paintings on Mauritius. The Indian side undertakes to organise an exhibition of these paintings in the Republic of India.
- 1.6. Both participants shall exchange lists of records of each other's interest/historical importance for eventual acquisition on microfilming, on mutually agreed upon terms.
- 1.7. The National Archives of the Republic of India may organise an exhibition in the Republic of Mauritius during the validity of this programme. The Mauritian side may similarly reciprocate.
- 1.8 The Government of the Republic of India may provide refresher courses for officers of the National Archives Department of the Republic of Mauritius in the fields of preservation, archives and records management and library management every year, on mutually agreed upon terms. Details shall be mutually agreed upon by the respective institutions.
- Both participants shall exchange archivist(s) to acquaint themselves with the archival techniques in each other's country and also to list records of each other's interest.
- 1.10 The Indian side shall depute two eminent Indian poets and writers for a period of one week and the Mauritian side shall reciprocate by sending two eminent Mauritian poets and writers to the Republic of India.
- 1.11 The National Museums of both participants shall exchange exhibitions, objects and museum personnel. Exhibitions may also be organised jointly by the respective museums.
- 1.12 The Indian side shall provide training and attachment for two museum personnel from the Republic of Mauritius in museology, museography, conservation of cultural property and digitisation of objects every year on mutually agreed upon terms.
- 1.13 The National Museum, in New Delhi, Republic of India may provide a set of replicas of Indian sculptures to the Republic of Mauritius on mutually agreed terms.

A ...

- 1.14 The Government of the Republic of India may provide scholarships for officers of the Drama Unit, Ministry of Arts and Culture, Republic of Mauritius, to follow a Diploma Course in Dramatics at the National School of Drama, Republic of India. Officers who have already followed the Diploma Course may also be provided by the Government of the Republic of India with short-term refresher courses in the different disciplines of theatre and facilities of attachments in different States of the Republic of India.
- 1.15 Both Participants shall promote exchange of performances between similar theatre institutes on a reciprocal basis by sending their productions in each other's theatre.
- 1.16 Both Participants shall exchange experts, technicians, administrative and management staff between similar theatre institutes of both countries, on reciprocal basis, which will strengthen institutional collaboration. This exchange may be done by conducting workshops, observing classes and training.
- 1.17 Both Participants shall exchange students wanting to study each other's theatre on a reciprocal basis. This will encourage the younger generation to understand theatre of both countries.
- 1.18 Both Participants shall exchange theatre journals and publications on a reciprocal basis.
- 1.19 A framework of co-operation between the Archaeological Survey of India and the National Heritage Fund and the Aapravasi Ghat Trust Fund of Mauritius may be set up, with two visits of Indian heritage specialists and Mauritian personnel to each other's country in order to explore areas of heritage structures and sites preservation.
- 1.20 Management personnel of heritage sites in the Republic of India shall visit the Republic of Mauritius in order to advise on the management of such sites in the Republic of Mauritius. A reciprocal visit to the Republic of India by the National Heritage Fund and the Aapravasi Ghat Trust Fund shall be conducted.
- 1.21 The Indian side may provide books on literature and linguistics pertaining to the languages viz. Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, Bhojpuri and Sanskrit on mutually agreed terms
- 1.22 The Indian side may provide a selection of books for school children of the age group 3 to 12 years in the languages viz. Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, Bhojpuri and Sanskrit on mutually agreed terms and conditions.

M

And I

- 1.23 The Government of the Republic of India may provide short training and attachment courses in the field of preservation and conservation of library materials, rare and historical documents and digitalisation.
- 1.24 The Government of the Republic of India may annually provide one scholarship in the field of librarianship, covering library automation and networking, indexing and abstracting techniques and cataloguing library materials using MARC 21 format for the National Library of the Republic of Mauritius.
- 1.25 Both Participants shall exchange reading materials on reciprocal basis.
- 1.26 The Government of the Republic of India shall provide the services of experts in the field of music and dance for training courses in the Republic of Mauritius, with the support of Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC).
- 1.27 The Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) of the Republic of India shall send a person to the Republic of Mauritius, and also receive a person from the Republic of Mauritius, for a period of 2 weeks to study in the following fields:
 - a) study of the artistic heritage;
 - b) creative activities for students;
 - c) development of audio-visual and printed educational materials for students to learn arts, music, dance, theatre and puppetry; museums as centres of learning and:
 - d) documentation of the arts, museum objects and production of cultural resources.
- 1.28 Both Participants shall facilitate the professional collaboration between National Council of Science Museums of the Republic of India and the Rajiv Gandhi Science Centre of the Republic of Mauritius, with exchange of experts in the field of science museum profession to study exhibition, educational and academic programmes of science museums / centres.

2. GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

2.1 EXCHANGE OF INDIVIDUALS/DELEGATIONS/EXHIBITIONS

a. Each participant shall send to the other side bio-data (including languages spoken) and proposed itinerary at least three months in advance of the expected date of visit of the delegation(s)/ individual(s), troupe(s)/ ensemble selected under this Programme.



A.

- b. The receiving side shall intimate the acceptance otherwise of the proposal within one month after receipt.
- c. After the receiving side conveys its acceptance, the sending side shall inform the receiving side at least four weeks in advance of the exact mode and time of arrival of the person(s).
- d. Persons invited shall know either the language of the receiving side or English.
- e. Both Participants shall extend facilities to delegation (s)/individual (s) sent from the other country to get acquainted with the culture and life of the host country.
- f. Both Participants shall provide free medical care in case of sudden illness.

2.2. EXCHANGE OF MATERIALS

Each Participant has the right to use the materials exchanged in the fields of information, radio and television, in its own programme and they shall not be given by the receiving Participant to a third party. The sending Participant shall be responsible for authors' and artists' right as well as for the transportation expenses.

2.3 IN CASE OF VISITS NOT EXCEEDING ONE MONTH (INCLUDING DELEGATIONS)

- a. The sending Participant shall cover return travel expenses.
- b. The receiving Participant shall offer: -
 - (i) in the Republic of Mauritius
 - internal travel;
 - suitable free accommodation;
 - suitable board and lodging;
 - suitable local transport; and
 - an out-of-pocket allowance for sundry expenses.

PM

(ii) in the Republic of India –

- internal travel including local transport in accordance with the programme of the visit(s);
- suitable free accommodation:
- free board;
- local transport; and
- an out-of-pocket allowance and sundry expenses.

2.4 VISITS EXCEEDING ONE MONTH

In the case of visits exceeding one month, both Participants shall agree upon financial terms in each case separately.

2.5 ENSEMBLES

- a. The proposals concerning the exchange of performing ensemble shall be made through diplomatic channels at least nine (9) months in advance. The receiving Participant shall respond to the proposal within two (2) months.
- b. The sending Participant shall cover travel cost of ensembles and transportation costs of their requisite to the first destination in the receiving country and back.
- c. The sending Participant shall provide the receiving Participant with the relevant information concerning the ensembles, programmes, press material, date of arrival and departure, etc, at least four (4) months in advance.
- d. However, variations from the above may be decided by the Participants by advance mutual agreement.

2.6 EXHIBITIONS

a. The sending Participant shall cover the international transportation costs connected with the transportation of the exhibits to the first place of their destination, the receiving country and back to their destination in the sending country from the last place of exhibition in the receiving country.

BY

- b. The receiving Participant shall cover the costs connected with the transportation of the exhibits to other places within its territory.
- c. The receiving Participant shall ensure at its own expense the installation of the exhibition and its publicity.
- d. The sending Participant shall cover the cost of insurance for the period that the exhibition is out of its country. In case the sending Participant suffers any loss or damage to the exhibits, the receiving Participant shall ascertain all the documents relating to the loss to enable the sending Participant to claim compensation from the insurance. The costs connected with the acquisition of the said documents are to be covered by the receiving Participant.
- e. The receiving Participant shall ensure that proper interest in the exhibition is shown and general care of same is taken.
- f. A separate agreement shall be signed, where necessary, between the sponsoring and receiving institutions.
- g. The sending Participant shall send all the necessary material/description, data concerning the space needed for the exhibition and information for compiling the catalogues, etc., three (3) months prior to the opening of the exhibition, if possible, and the exhibits at least six (6) months prior to the opening of the exhibition.

3. <u>MISCELLANEOUS</u>

- 3.1 Additional proposals, not included in this Programme, aimed at strengthening the friendly ties between the Participants, shall be considered and carried out by mutual consent through diplomatic channels.
- 3.2 The financial terms applicable for the implementation of this Programme shall be settled by mutual consultations through diplomatic channels.
- 3.3 Both Participants shall provide each other assistance in organising joint cultural programmes/events which blend both the Indian and Mauritian cultures namely in literature, music and dance.
- 3.4 Collaboration in mutually agreed upon areas may be further explored and both Participants agree to support each other's cultural activities/workshops to further promote and enhance the cultural space of the Indian diaspora in the Republic of Mauritius.



Brd

- 3.5 The present Programme shall come into force on the date of its signature by the two Participants and shall remain valid for a period of four years unless terminated earlier by either participant by giving the other participant at least six months' advance notice, in writing and through diplomatic channels of its intention to terminate the Programme.
- 3.6 The present Programme may be amended at any time by mutual written consent of the Participants.
- 3.7 The termination of this Programme shall not affect the validity or implementation of any arrangement, exchange or project agreed upon prior to the date of termination of this Programme.
- 3.8 Any differences arising out of the interpretation and implementation or application of this Programme shall be settled amicably between the Participants through consultation, negotiation or both.

Signed in Port Louis, Mauritius, on the twelfth day of March 2018 in two originals each in English and Hindi languages. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS

(Abhay THAKUR)
High Commission of India
Port Louis, Mauritius

(Rajwantee RAMRUKHEEA)
Permanent Secretary
Ministry of Arts and Culture
Republic of Mauritius

भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरीशस गणराज्य की सरकार के बीच वर्ष 2018-2021 के लिए सांस्कृतिक सहयोग का कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसके पश्चात "पक्ष" कहा गया है;

भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस गणराज्य की सरकार के बीच आर्थिक, तकनीकी व सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में 14 मार्च, 1978 को पोर्ट लुइस में किए गए करार के अनुसरण में;

वर्ष 2018-2021 के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में सांस्कृतिक सहयोग हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम पर सहमत हुई हैं:

- 1. कला व संस्कृति में सांस्कृतिक सहयोग
- 1.1 दोनों पक्ष, एक वर्ष में अधिकतम 15 सदस्यों की मंच कलाओं की कम से कम दो सांस्कृतिक मण्डलियों का आदान-प्रदान करेंगे। मण्डलियों के दौरों की तारीख व अन्य ब्यौरा राजनियक चैनलों के माध्यम से परस्पर रूप से तय किया जाएगा।
- 1.2 भारतीय पक्ष एक सप्ताह की अविध के लिए मॉरीशस गणराज्य में भारत गणराज्य की लोक कला व परम्पराओं पर एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा। इसी प्रकार मॉरीशस पक्ष भी भारत गणराज्य में सदृश प्रदर्शनी भेजेगा।
- 1.3 दोनों पक्ष, दो सप्ताह की अविध के लिए चुनिंदा कलाकारों द्वारा लिलत कलाओं की प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रदर्शनी के साथ चित्रकारी की शैलियों तथा तकनीकों पर एक कार्यशाला संचालित करने के लिए एक चुनिंदा कलाकार जाएगा। प्रदर्शनी का समय व अन्य ब्यौरा परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर तय किया जाएगा।
- 1.4 भारतीय पक्ष, मॉरीशस के एक चित्रकार/ दृश्य कलाकार को दो सप्ताह के लिए भारत गणराज्य का दौरा करने तथा भारत पर शृंखलाबद्ध चित्रकारी करने के लिए आमंत्रित करेगा। मॉरीशस पक्ष, मॉरीशस गणराज्य में इन चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का वचन देता है।

1

21

- 1.5 इसी प्रकार मॉरीशस पक्ष, मॉरीशस गणराज्य का दौरा करने और मॉरीशस पर श्रृंखलाबद्ध चित्रकारी करने के लिए एक भारतीय चित्रकार/दृश्य कलाकार को आमंत्रित करेगा। भारतीय पक्ष, भारत गणराज्य में इन चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का वचन देता है।
- 1.6 दोनों पक्ष, परस्पर सहमित से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर माइक्रॉफिल्म का समय-समय पर अर्जन करने के लिए एक-दूसरे के हित/ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों की सूचियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 1.7 भारत गणराज्य का राष्ट्रीय अभिलेखागार इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान मॉरीशस गणराज्य में एक प्रदर्शनी आयोजित कर सकता है। इसी प्रकार मॉरीशस पक्ष द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है।
- 1.8 भारत गणराज्य की सरकार परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर परिरक्षण, अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन एवं पुस्तकालय प्रबंधन के क्षेत्रों में मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करेगी। ब्यौरे संबंधित संस्थाओं द्वारा परस्पर सहमति से तय किए जाएंगे।
- 1.9 दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में अभिलेखीय तकनीकों से परिचित होने के लिए अभिलेखाध्यक्ष (क्षों) तथा साथ ही एक-दूसरे के हित संबंधी अभिलेख सूची का आदान-प्रदान करेंगे।
- 1.10 भारतीय पक्ष, एक सप्ताह की अविध के लिए दो प्रख्यात भारतीय कवियों तथा लेखकों को प्रतिनियुक्त करेगा और इसी प्रकार मॉरीशस पक्ष, भारत गणराज्य में मॉरीशस के दो प्रख्यात कवियों तथा लेखकों को भेजेगा।
- 1.11 दोनों पक्षों के राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रदर्शनियों, वस्तुओं तथा संग्रहालय कर्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रदर्शनियां संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से भी आयोजित की जा सकती हैं।
- 1.12 भारतीय पक्ष, परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर प्रत्येक वर्ष संग्रहालय विज्ञान, संग्रहालय कला तथा सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण और कलावस्तुओं के अंकीकरण के क्षेत्र में मॉरीशस गणराज्य के दो संग्रहालय कार्मिकों को प्रशिक्षण व संयोजन प्रदान करेगा।
- 1.13 भारत गणराज्य का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर मॉरीशस गणराज्य को भारतीय मूर्तियों की प्रतिकृतियों का एक सेट उपलब्ध कराएगा।
- 1.14 भारत गणराज्य की सरकार, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारत गणराज्य में नाट्यकला में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु नाटक यूनिट, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, मॉरीशस

1

3

गणराज्य के अधिकारियों के लिए शिक्षावृत्तियां प्रदान करेगी। ऐसे अधिकारियों, जिन्होंने पहले ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अध्ययन पूरा कर लिया है, को भारत गणराज्य की सरकार द्वारा भारत गणराज्य के विभिन्न राज्यों में रंगमंच की विभिन्न विधाओं में अल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और संयोजन की स्विधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

- 1.15 दोनों पक्ष, एक-दूसरे के रंगमंच में अपनी प्रस्तुतियां भेजते हुए परस्पर आधार पर सदश रंगमंच संस्थानों के बीच प्रस्तुतियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 1.16 दोनों पक्ष, संस्थागत सहयोग सुदृढ़ करने के लिए परस्पर आधार पर दोनों देशों की सदृश रंगमंच संस्थानों के बीच विशेषज्ञों, तकनीशियनों, प्रशासनिक और प्रबंधन कार्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। यह आदान-प्रदान कार्यशालाओं, संदर्शन कक्षाओं और प्रशिक्षण के आयोजन द्वारा किया जा सकता है।
- 1.17 दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर एक-दूसरे के रंगमंच का अध्ययन करने वाले इच्छुक छात्रों का आदान-प्रदान करेंगे। इससे दोनों देशों के रंगमंच को समझने के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 1.18 दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर रंगमंच पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 1.19 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा मॉरीशस के राष्ट्रीय विरासत निधि और अप्रवासी घाट ट्रस्ट फण्ड के बीच सहयोग का ढांचा तैयार किया जाएगा जिसके तहत विरासत इमारतों तथा स्थल पिरक्षिण के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भारतीय विरासत विशेषज्ञ और मॉरीशस के कर्मिक एक-दूसरे के देश के दो दौरे करेंगे।
- 1.20 भारत गणराज्य के विरासत स्थलों के प्रबंधन कार्मिक मॉरिशस गणराज्य में ऐसे स्थलों के प्रबंधन पर सुझाव देने के लिए मॉरीशस गणराज्य का दौरा करेंगे। इसी प्रकार मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रीय विरासत निधि व आप्रवासी घाट ट्रस्ट फण्ड द्वारा भारत गणराज्य का दौरा संचलित किया जाएगा।
- 1.21 भारतीय पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर भाषाओं नामतः हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी और संस्कृत से संबंधित साहित्य तथा भाषा विज्ञान पर पुस्तकें उपलब्ध करा सकता है।
- 1.22 भारतीय पक्ष, परस्पर रूप से सहमत निबंधन एवं शर्तों पर हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी एवं संस्कृत जैसी भाषाओं में 3 वर्ष से 12 वर्ष के आयु समूह के स्कूली बच्चों के लिए चयन की गई पुस्तकें उपलब्ध करा सकता है।

1

EN!

- 1.23 भारत गणराज्य की सरकार, पुस्तकालय सामग्री, दुर्लभ और ऐतिहासिक दस्तावेजों के परिरक्षण एवं संरक्षण व डिजिटलीकरण के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण व संयोजन पाठ्यक्रम प्रदान कर सकती है।
- 1.24 भारत गणराज्य की सरकार प्रत्येक वर्ष पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्यों, जिनमें मॉरीशस गणराज्य में राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय स्वचलीकरण एवं नेटवर्किंग, विषय-सूची और संक्षेपण तकनीक तथा मार्क 21 फार्मेट का इस्तेमाल करके पुस्तकालय सामग्रियों का सूची पत्र तैयार करना शमिल है, के क्षेत्र में एक छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
- 1.25 दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर पठन सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- 1.26 भारत गणराज्य की सरकार, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) की सहायता से मॉरीशस गणराज्य में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु संगीत व नृत्य के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराएगी।
- 1.27 भारत गणराज्य का सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) निम्निलिखित क्षेत्रों में अध्ययन के लिए 2 सप्ताह की अविध हेतु मॉरीशस गणराज्य में एक व्यक्ति को भेजेगा और साथ ही मॉरीशस गणराज्य से एक व्यक्ति की मेजबानी भी करेगा:-
 - क) कलात्मक विरासत का अध्ययन;
 - ख) छात्रों के लिए सृजनात्मक कार्यकलाप;
 - ग) छात्रों को कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच एवं कठपुतली कला सीखने के लिए दृश्य-श्रव्य और मृद्रित शैक्षिक सामग्रियों; अध्ययन केन्द्रों के रूप में संग्रहालयों का विकास; और
 - घ) कला, संग्रहालय वस्तुओं का प्रलेखन और सांस्कृतिक स्रोतों की रचना।
- 1.28 दोनों पक्ष, विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों की प्रदर्शनी, शैक्षणिक और अकादमिक कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए विज्ञान संग्रहालय वृत्ति के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करते हुए भारत गणराज्य के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और मॉरीशस गणराज्य के राजीव गांधी विज्ञान केन्द्र के बीच व्यावसायिक सहयोग सुगम बनाएंगे।
- 2. सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान
- 2.1 व्यक्तियों/प्रतिनिधिमंडलों/प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान
- क. प्रत्येक पक्ष इस कार्यक्रम के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडलों/व्यक्तियों/टोलियों/गायक वृन्द के के मामले में दौरे की संभवित तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषाओं सहित) तथा प्रस्तवित यात्रा कार्यक्रम की सूचना भेजेगा।

BY

- ख. मेजबान पक्ष, प्रस्ताव प्राप्त होने के एक माह के भीतर इसकी स्वीकृति या अन्यथा की सूचना देगा।
- ग. मेजबान पक्ष से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रेषक पक्ष व्यक्ति/व्यक्तियों के सुनिश्चित परिवहन माध्यम और आगमन के समय के संबंध में मेजबान पक्ष को कम से कम चार सप्ताह पहले सूचना देगा।
- घ. आमंत्रित व्यक्तियों को मेजबान पक्ष की भाषा या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- ड. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल/व्यक्ति को मेजबान देश की संस्कृति और जीवन से परिचित कराने के उद्देश्य से सुविधा प्रदान करेंगे।
- च. आकस्मिक बीमारी के मामले में दोनों पक्ष नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।
- 2.2 सामग्रियों का आदान-प्रदान:-

प्रत्येक पक्ष को सूचना, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसे कार्यक्रम प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा किसी तृतीय पक्ष को नहीं दिए जाने चाहिएं। प्रेषक पक्ष 'लेखकों और कलाकारों' के अधिकारों तथा परिवहन पर होने वाले व्यय हेतु उत्तरदायी होगा।

- 2.3 एक माह तक की अविध के लिए दौरे (प्रतिनिधिमंडलों सहित)
- क. प्रेषक पक्ष आने तथा जाने का यात्रा व्यय वहन करेगा।
- ख. मेजबान पक्ष निम्नलिखित की पेशकश करेगा:-
- (i) मॉरीशस गणराज्य में-
- आंतरिक यात्रा;
- नि:श्ल्क उपयुक्त आवास व्यवस्था;
- ठहरने और भोजन की उपयुक्त व्यवस्था;
- स्थानीय परिवहन हेतु उपयुक्त व्यवस्था; और
- विविध खर्चों के लिए जेब खर्च भत्ता।
- (ii) भारत गणराज्य में-
- दौरे के कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय परिवहन सहित आन्तरिक यात्रा;
- नि:शुल्क उपयुक्त आवास व्यवस्था;
- नि:शुल्क भोजन;
- स्थानीय परिवहन; और
- विविध खर्चों के लिए जेब खर्च भत्ता।

A

and a

2.4 एक माह से अधिक के दौरे

एक माह से अधिक के दौरे के मामले में दोनों पक्ष प्रत्येक मामले में अलग-अलग वित्तीय शर्ती पर सहमत होगें।

2.5 कला प्रस्तुति मंडली

- क. कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली कला प्रस्तुति मंझिलयों के आदान-प्रदान से संबंधित प्रस्ताव राजनियक माध्यमों के जिरए कम से कम नौ (9) माह पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे। मेजबान पक्ष प्रस्ताव प्राप्त होने के दो (2) माह के भीतर प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया देगा।
- ख. प्रेषक पक्ष मेजबान देश में प्रथम गंतव्य तक जाने और वहां से वापस आने के लिए कला प्रस्तुति मंडली के यात्रा व्यय तथा उनके उपस्करों का परिवहन व्यय वहन करेगा।
- ग. प्रेषक पक्ष मेजबान पक्ष को कला प्रस्तुति मंडली, कार्यक्रमों, प्रेस सामग्री, आगमन तथा प्रस्थान की तिथि आदि से संबंधित संगत सूचना कम से कम चार (4) माह पूर्व देगा।
- घ. तथापि उपर्युक्त में परिवर्तन का निर्णय इन दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमति से अग्रिम रूप से लिया जाएगा।

2.6 प्रदर्शनियां

- क. प्रेषक देश द्वारा मेजबान देश में उनके प्रथम गंतव्य स्थल पर तथा मेजबान देश के अंतिम प्रदर्शनी स्थल से वापस प्रेषक देश के गंतव्य स्थल तक प्रदर्शनियों के परिवहन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय परिवहन परिव्यय का वहन किया जाएगा।
- ख. मेजबान पक्ष अपने देश में अन्य स्थलों तक प्रदर्शनियों के परिवहन संबंधी व्यय को वहन करेगा।
- ग. मेजबान पक्ष, अपने खर्च पर प्रदर्शनी लगाने और इसका प्रचार करना सुनिश्चित करेगा।
- घ. प्रेषक पक्ष, प्रदर्शनी के देश के बाहर रहने की अविध के लिए बीमा लागत वहन करेगा। प्रेषक पक्ष के प्रदर्शों को यदि कोई नुकसान या क्षिति होती है, तो बीमा कंपनी से क्षितिपूर्ति लेने के लिए मेजबान पक्ष प्रेषक पक्ष को प्रदर्शों के क्षितिग्रस्त होने से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। उक्त दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में होने वाला व्यय मेजबान पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।
- ड. मेजबान पक्ष यह सुनिश्चित करेगा की प्रदर्शनी में उचित अभिरुचि दिखाई जा रही है तथा इसकी सामान्य देखभाल की जा रही है।

D

21

- च. जहां आवश्यक होगा, प्रायोजक और मेजबान संस्थान के बीच पृथक् करार किया जाएगा।
- छ. प्रेषक पक्ष प्रदर्शनी के लिए आवश्यक स्थान से संबंधित सभी अनिवार्य सामग्री विवरण, आंकडे तथा स्चीपत्र के संकलन आदि के लिए स्चना यदि संभव हो तो प्रदर्शनी शुरू होने से तीन (3) माह पूर्व तथा प्रदर्शों को, प्रदर्शनी शुरू होने से कम से कम छ: (6) माह पूर्व भेजेगा।
- 3. विविध
- 3.1 ऐसे अतिरिक्त प्रस्तावों पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर सहमित से विचार किया जाएगा तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है और जिनका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करना है।
- 3.2 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लागू वित्तीय शर्तें, राजनियक चैनलों के माध्यम से परस्पर परामर्श से तय की जाएंगी।
- 3.3 दोनों पक्ष भारत और मॉरीशस की संस्कृति अर्थात साहित्य, संगीत और नृत्य के मेल हेतु संयुक्त रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम/समारोह आयोजित करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे।
- 3.4 परस्पर रूप से सहमत सहयोग के क्षेत्रों का आगे और पता लगाया जाएगा और दोनों पक्ष मॉरीशस गणराज्य में प्रवासी भारतीयों के सांस्कृतिक कार्यक्षेत्र को और बढ़ावा देने तथा वृद्धि करने के लिए एक दूसरे के सांस्कृतिक कार्यकलापों/कार्यशालाओं को सहायता करने हेतु सहमत हैं।
- 3.5 वर्तमान कार्यक्रम दोनों पक्ष द्वारा इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और यह चार वर्ष की अविध के लिए वैध रहेगा जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा, दूसरे पक्ष को कम से कम 6 (छ:) माह पूर्व राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना देते हुए इसे पहले समाप्त नहीं कर दिया जाता है।
- 3.6 वर्तमान कार्यक्रम को दोनों पक्षों की परस्पर लिखित सहमति द्वारा किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।
- 3.7 इस कार्यक्रम के समाप्त होने से, कार्यक्रम के समापन की तारीख से पहले सहमत हुए किसी समझौते, आदान-प्रदान या परियोजना की वैधता या कार्यान्वयन प्रभवित नहीं होगी।
- 3.8 इस कार्यक्रम की विवेचना और कार्यान्वयन या अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद विवाद को, दोनों पक्षों के बीच परामर्श, बातचीत या दोनों के माध्यम से सौहार्दपूर्वक निपटाया जाएगा।

इस कार्यक्रम पर मार्च, 2018 के 12वें दिवस को पोर्ट लुइस, मॉरीशस में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए। निर्वचन में विभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

> भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

> > (अभय ठाकुर)

उच्चायुक्त

भारतीय उच्चायोग, पोर्ट लुइस

मॉरीशस

मॉरीशस गणराज्य की सरकार

की ओर से

(राजवंती रामखिया)

स्थायी सचिव

कला एवं संस्कृति मंत्रालय,

मॉरीशस सरकार